बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–5–01/2014/स्वा0/पटना,.......... दिनांक / निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के पत्रांक 2905 दिनांक 10.12.14 द्वारा प्रतिवेदित है कि डा0 अरूण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय को दिनांक 04.12.14 को 20,000/–(बीस हजार रूपए) रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के धावादल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है, चूँकि डा0 गुप्ता की हिरासत अवधि 48 घंटे से अधिक है, अतः उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत उनकी गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 04.12.14 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–**10** के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांकः 72(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11/02/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/सिविल सर्जन बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) पटना को उनके पत्रांक 2905 दिनांक 10.12.14 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 अरूण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ के निजी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

10/2/15
सरकार के संयुक्त सचिव

Sweta/Health/Notification- 14-05-12